



Neutral Citation No. -2026: AHC:26629

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 248/2026

गोलू पाल उपनाम प्रमोद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्त

: अथर्व दीक्षित, रोशनी मुराद

विपक्षी के अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. सूचनाकर्ता की ओर से श्री इरशाद हुसैन द्वारा दायर वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए और सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता, श्री इरशाद हुसैन को सुना गया और अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों का अवलोकन किया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिलिखित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सूचनाकर्ता का आरोप है कि घटना वाले दिन जब उसकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई तो दोनों नामजद आरोपियों ने उसे नंगा करके अपने साथ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके कारण वह अब तीन महीने की गर्भवती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने कथन में पीड़िता

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ने आवेदक सहित दोनों नामजद आरोपियों के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया है, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने कथन में उसने आवेदक सहित दोनों आरोपियों के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाते हुए चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी बलात्कार का आरोप लगाया है। उसकी चिकित्सा परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। पीड़िता के दोनों कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के अनुसार सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आगे उन्होंने बताया कि आवेदक 29.08.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-विचारण चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

5. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक-गोलू पाल उपनाम प्रमोद, को मामला अपराध संख्या 422 सन् 2025 में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)एम, 65(1), 70(2) और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 5एल/6, 5जे(ii)/6, 5जी/6, 3/4(2) के अन्तर्गत, थाना-चौबेपुर, जिला-वाराणसी में, व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो स्थानीय जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"